न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 101/2010 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कंवरसिंह पुत्र चतुर्भुज जाति अहीर निवासी उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांट

बनाम

1 उदयसिंह पुत्र रामचन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम उजौली

2 दीवानचन्द पुत्र रामचन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:---- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 24.2.2005

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0 :– बावजूद सूचना उपस्थित

निर्णय दिनांक 24.12.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा प्रकरण संख्या 125/2003 में पारित निर्णय दिनांक 24.2.2005 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 515 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम उजौली तहसील कोटकासिम वादी व तरतीबी प्रतिवादी की

खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है । परन्तु प्रतिवादी उक्त आराजी को कम कीमत पर खरीदना चाहता है और मना करने पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं और आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी असल प्रतिवादी ने अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय इकतरफा में पारित कियागया है । वकील साहब ने हमसे कहा कि मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मुकदमा खारिज हो चुका है । दिनांक 31.10.2010 को रेस्पो0 विवादित भूमि पर आये और धमकी दी तो अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी है । जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन कराने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है । अतः देरी को कंडोन किया जावे ।

4 विद्वान वकील अपीलांट ने मेरिटस पर तर्क दिये कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 515 में से वादी रेस्पो0 के पूर्वजों ने 4 बिस्वा भूमि हमारे पिता चतुर्भुज को दे दी और हमारे पिता ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 519 में से 4 बिस्वा भूमि वादी रेस्पो0 के बुजुर्गान को दे दी तथा पक्षकारान इसी अनुसार काबिज है । हमने विवादित आराजी खसरा नम्बर 515 में अपनी रिहायश बना रखी है । हम विवादित भूमि में से 4 बिस्वा पर काबिज है । दावा तथ्यों को छिपाते हुये प्रस्तुत किया गया था । जिस ओर तहत अदालत ने भी गौर नहीं किया । वादी गैर काबिज है । उसे स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हक नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण पर गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में एवं विद्वान वकील अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये नरम रूख अपनाया जाता है और देरी को कंडोन किया जाता है ।

इसके पश्चात प्रकरण की मेरिटस पर गौर किया । साथ ही धारा 188 आर0 टी0 एक्ट के प्रावधानों का भी अध्ययन किया । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 515 के खातेदार रेस्पो0 उदयसिंह, दीवानचन्द पुत्रान रामचन्दर खातेदार दर्ज रेकार्ड है । विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि उनके पिता चतुर्भुज ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 519 में से 4 बिस्वा भूमि वादी रेस्पो0 के बुजुर्गान को दे दी थी और बदले में विवादित आराजी खसरा नम्बर 515 में से 4 बिस्वा भूमि वादी रेस्पो0 के बुजुर्गान से ली ली थी । परन्तु विद्वान वकील अपीलांट ने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विधिक तबादलानामा या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । जिसके अभाव में विद्वान वकील अपीलांट के इस कथन को खारिज किया जाता है ।

धारा 188 आर0 टी0 एक्ट में प्रावधान किया गया है कि स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ वही व्यक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है जो ---- खातेदार हो, काबिज हो तथा लगान देता हो । चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार है, काबिज है और लगान अदा करता है । ऐसी स्थिति में वे धारा 188 आर0 टी0 एक्ट की रिलीफ पाने के अधिकारी हैं । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.2.2005 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/12/19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर